खास खबरें

टीटी नगर से 16 वर्षीय किशोरी लापता

नप्र, भोपालः टी नगर थाना पुलिस ने पंचशील नगर सेकेंड निवासी, गीता अहिरवार की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की।

बजरिया से 70 हजार की बाइक चोरी

बजरिया थाना क्षेत्र के चांदबड़ से रोहित सेन की होंडा बाइक क्रमांक स्क्र04 ॅ॥ 4204 चोरी हो गई। फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 303(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया। चोरी गई बाइक की कीमत करीब 70 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस जांच कर रही है।

वीआईपी रोड पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

कोहेफिजा थाना पुलिस ने सैयद शाहिद अली की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी। पुलिस ने धारा 281, 125 बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर वाहन और चालक की तलाश शुरू की।

बैरागढ़ में ऑटो चालक पर लापरवाही का केस

बैरागढ़ थाना पुलिस ने शैलेन्द्र पाल की शिकायत पर ऑटो क्रमांक स्क्र04 ॅस्न 1497 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि चालक ने तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना की। पुलिस ने धारा 281, 125 बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

जयभीम नगर से 20 क्वार्टर शराब के साथ युवक गिरफ्तार

टी नगर थाना पुलिस ने जयभीम नगर में दबिश देकर अर्जुन उर्फ बिट्टू पिता पवन भैरवे उम्र 18 वर्ष को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया।

राजीव गांधी पार्क से अवैध चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

गौतम नगर थाना पुलिस ने जेपी नगर स्थित राजीव गांधी पार्क से तारिक उर्फ टिरू पिता मोहम्मद कमर उम्र 29 वर्ष को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया।

मोबाइल सुधारने पर मारपीट, केस दर्ज

हनुमानगंज थाना पुलिस ने संतोष कुमार की शिकायत पर सचिन पंथी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आरोप है कि मोबाइल सुधारने की बात पर आरोपी ने गाली-गलौज कर मारपीट की।

छोलामंदिर में दहेज के लिए प्रताड़ना

छोलामंदिर थाना पुलिस ने आरती कुशवाहा की शिकायत पर उमेश कुशवाहा, रामकिशन और कमलशनी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि आरोपियों ने 50 हजार रुपये की मांग कर प्रताड़ित किया और धमकी दी।

49 नगरीय निकायों में 756 एल्डरमेन नियुक्त

प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश, भोपाल-इंदौर नगर निगम की सूची का इंतजार

- 49 नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में एल्डरमेन नियुक्त।
- कुल 756 नामित पार्षदों की सूची जारी।
- नियुक्तियां म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19(1)(ग) के तहत।
- भोपाल और इंदौर नगर निगम की सूची अलग से जारी होगी।
- आदेश जारी होने के साथ ही नियुक्तियां प्रभावी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में लंबे समय से लंबित एल्डरमेन (नामित पार्षद) नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश की 49 नगर पालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के लिए 756 एल्डरमेन नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत विभिन्न जिलों के नगर निकायों में नामित सदस्यों की सूची घोषित की गई है। नियुक्तियां मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19(1)(ग) के तहत की गई हैं।

सरकार द्वारा जारी सूची में सागर, रीवा, कटनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, शहडोल, धार, रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सीधी, सिंगरौली, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के नगर निकायों में एल्डरमेन नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों के बाद संबंधित नगर निकायों में परिषदों और विभिन्न समितियों के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी आदेश के अनुसार सागर जिले में 18, रीवा में 14, कटनी में 10, छिंदवाड़ा में 16, नर्मदापुरम में 12, शहडोल में 11, धार में 15 तथा रतलाम में 13 एल्डरमेन नियुक्त किए गए हैं। अन्य जिलों के नगर निकायों के लिए भी नामित सदस्यों की सूची जारी की गई है।

भोपाल और इंदौर पर अलग फैसला

जारी आदेश में भोपाल और इंदौर नगर निगम के लिए एल्डरमेन नियुक्ति शामिल नहीं है। इन दोनों नगर निगमों के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसलिए फिलहाल नियुक्तियां केवल 49 नगर पालिका परिषदों एवं नगर परिषदों तक सीमित हैं।

राजधानी में 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई, तीन के लाइसेंस निरस्त, आठ निलंबित

नप्र, भोपालः राजधानी में नियमों का उल्लंघन कर दवाइयों की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त, 8 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 21 संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में पाया गया कि आनंद नगर स्थित शोवा मेडिकल और हताईखेड़ा स्थित तिरुपति मेडिकल स्टोर बिना योग्य फार्मासिस्ट के दवाइयों की बिक्री कर रहे थे। वहीं आनंद नगर स्थित श्रीराम ट्रेडर्स द्वारा पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना शेड्यूल ॥1 श्रेणी की दवाओं की बिक्री की जा रही थी। गंभीर अनियमितताओं के चलते इन तीनों मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। इसके अलावा बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचने वाले 5 मेडिकल स्टोर्स तथा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल एच दवाओं की बिक्री करने वाले 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।

30 दिन में करना होगा पालन

कोचिंग सेंटर और हाईराइज भवनों में फायर सेफ्टी व्यवस्था अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में कोचिंग सेंटरों, शैक्षणिक संस्थानों और हाईराइज भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ट शर्मा ने मंगलवार को कोचिंग सेंटर संचालकों, विभिन्न संस्थानों के प्रबंधकों और बहुमंजिला भवनों के स्वामियों की बैठक लेकर अग्नि सुरक्षा के सभी निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिन संस्थानों को पहले फायर सेफ्टी संबंधी नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन्हें 200 रुपये के न्यायिक स्टाम्प पर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अग्निशमन संयंत्र स्थापित करने के लिए 30 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा।

अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी भवनों में फिक्स फायर सिस्टम, पर्याप्त जल भंडारण, क्षमता अनुसार फायर पंप, ऑटोमैटिक डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर, दो आपातकालीन निकास द्वार और प्राकृतिक वेंटिलेशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग या स्टोर के रूप में करने तथा निकास मार्ग को पूरी तरह बाधारहित रखने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान में प्रतिवर्ष फायर एवं विद्युत ऑडिट कराना अनिवार्य होगा और इसकी रिपोर्ट नगर निगम के फायर ब्रिगेड कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके अलावा हर चार माह में मॉक ड्रिल आयोजित करने, बच्चों को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण देने, फ्लेम मास्क उपलब्ध कराने तथा कर्मचारियों एवं सुरक्षा गार्डों को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में निगम अधिकारियों ने फायर सेफ्टी मानकों, अग्निशमन उपकरणों की स्थापना और रखरखाव संबंधी विस्तृत जानकारी भी दी। उपायुक्त भुवन गुप्ता और प्रभारी फायर ऑफिसर सौरभ पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर निगम ने सभी कोचिंग सेंटरों, संस्थानों और हाईराइज भवनों के संचालकों एवं भवन स्वामियों को 9 जुलाई 2026 तक संबंधित भवन का फायर प्लान एवं शपथ पत्र निगम मुख्यालय अटल भवन की सातवीं मंजिल स्थित फायर ब्रिगेड शाखा में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0: 13 को तकनीकी निवेश पर रहेगा फोकस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में तकनीकी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 जुलाई को भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और राज्य के प्रौद्योगिकी आधारित विकास के विजन को साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में निवेश, नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। राज्य सरकार का उद्देश्य मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी निवेश केंद्रों में स्थापित करना है। इससे पहले आयोजित दो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनसे एक लाख से अधिक संभावित रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

कार्यक्रम में देश-विदेश की अग्रणी कंपनियों, उद्योग संगठनों, डेटा सेंटर डेवलपर्स, सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रतिनिधियों, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। विभिन्न तकनीकी कंपनियां और इकोसिस्टम साझेदार भी इसमें शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में स्टार्टअप, नवाचार आधारित उद्यमों और इनक्यूबेटर्स को भी अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। आईआईएसईआर और आईआईएम इंदौर जैसे प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान उद्योग-अकादमिक सहयोग, कौशल विकास और नवाचार पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। आयोजन के दौरान नई परियोजनाओं, रणनीतिक साझेदारियों और विभिन्न समझौतों की भी घोषणा की जाएगी।

एमपी में 2027 में 13 आईपीएस होंगे रिटायर गृह विभाग ने जारी किया आदेश

वरुण कपूर, उपेन्द्र जैन समेत 1991-92 बैच के सीनियर अधिकारी भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में अगले साल 2027 में भारतीय पुलिस सेवा के 13 अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होंगे। गृह विभाग ने 4 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियम 1958 के नियम 16 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी अपनी जन्मतिथि के अनुसार 60 वर्ष पूर्ण करने वाले माह के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होंगे।

इन अधिकारियों का नाम सूची में शामिल : सूची में 1991 बैच के वरुण कपूर और उपेन्द्र कुमार जैन, 1992 बैच के जी. अखेतो सेमा और श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, 1994 बैच के श्री राजाबू सिंह, 1997 बैच के श्री उमेश जोगा शामिल हैं। वहीं प्रमोशन से आए एसपीएस बैच से मुकेश कुमार श्रीवास्तव, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, संतोष सिंह गौर, मनोज कुमार सिंह, राकेश सागर, विनोद कुमार सिंह और श्रीमती रस्ना ठाकुर का नाम है। सबसे पहले जनवरी 2027 में श्री राकेश सागर और सबसे अंत में 31 दिसंबर 2027 को श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त होंगे।

अक्टूबर 2027 में एक साथ 3 अधिकारी उमेश जोगा, मनोज कुमार सिंह और श्रीमती रस्ना ठाकुर रिटायर होंगे। आदेश की प्रतिलिपि भारत सरकार गृह मंत्रालय, डीजीपी मध्यप्रदेश, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों को भेजी गई है। आदेश पर अवर सचिव अन्नू भलावी के हस्ताक्षर हैं। राकेश सागर एसपीएस, मुकेश कुमार श्रीवास्तव, वरुण कपूर, ओम प्रकाश त्रिपाठी, विनोद कुमार सिंह, संतोष सिंह गौर, श्री जी. अखेतो, राजाबू सिंह, उपेन्द्र कुमार जैन, उमेश जोगा, मनोज कुमार सिंह, श्रीमती रस्ना ठाकुर पंकज कुमार श्रीवास्तव।

एलवीएस के 94 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, भाऊ ने दिया सफलता का मंत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः गांधीनगर स्थित लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित विद्यालयों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

सोसायटी के अधीन संचालित 'लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय' एवं 'प्रेरणा किरण पब्लिक स्कूल' पीपलनेर, गांधीनगर के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 94 छात्र-छात्राओं को वार्षिक परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी की पावन उपस्थिति में सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सिद्ध भाऊ ने किया। शाला के सचिव रमेश हिंगोरानी, संचालक योगेश हिंगोरानी, प्रेरणा किरण पब्लिक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी नीलेश हिंगोरानी, प्राचार्या जयश्री ममतानी एवं नवीन नामदेव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भाऊ का स्वागत किया। सिद्धभाऊ ने कहा, 'पढ़ाई के सिवा मनुष्य का कोई मोल नहीं है। विद्यार्थी जीवन एक तपस्या के समान है; आज आप जितना मन लगाकर पढ़ेंगे, आगे का जीवन उतना ही सुखी रहेगा।' उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अनुशासन में रहने, माता-पिता व गुरुजनों का सम्मान करने और स्वस्थ रहने के लिए अंकुरित आहार व व्यायाम को अपनाने की सीख दी। कार्यक्रम के दौरान नेशनल एवं इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में 20 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतने वाली विद्यालय की छात्रा निहारिका नागर तथा उनकी कोच भावना यादव को भी सिद्ध भाऊ द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

मॉर्निंग वॉक एंड सिंगिंग ग्रुप के कलाकारों ने गुनगुनाए नगमें

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः मॉर्निंग वॉक एंड सिंगिंग ग्रुप ने 47वें केरी ओके गीत-संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। समाजसेवी एवं ग्रुप के संचालक रामचंद्र सभनानी का 70वां जन्मदिन भी मनाया गया। सभनानी ने संस्था के साथियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक योगेश मालानी को 'बेस्ट आयोजक' एवं 'वॉइस ऑफ कुमार सानू' के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही बीनू यादव को 'बेस्ट एंकर', रमेश जनयानी को 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' और अमर अवतरामानी को 'वॉइस ऑफ किशोर कुमार' का अवॉर्ड दिया गया। वहीं अशोक आडवाणी, के.एल. मोटवानी, माला कारला और अनिल खुशलानी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में वरिष्ठ समाजसेवी बसंत चेलानी, संत नरेश पारदासानी, कर्नल नारायण पारवानी, हीरो इसरानी, लक्ष्मण आसवानी, नारायण सभनानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

एटीएम ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

बिहार के 6 आरोपी गिरफ्तार, 15 दिन में एसबीआई के 8 एटीएम से 9 लाख रुपये उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में एटीएम में तकनीकी छेड़छाड़ कर लाखों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का शाहपुरा थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार निवासी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो छात्र और चार मजदूर शामिल हैं।

आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने पिछले 15 दिनों में भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के आठ एटीएम को निशाना बनाकर करीब 9 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों का तरीका बेहद शातिर था। वे पहले एटीएम मशीन के कैश डिस्पेंसर के शटर में तकनीकी छेड़छाड़ (शटर टेंपरिंग) कर देते थे। इसके बाद जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता, तो उसके खाते से राशि तो कट जाती, लेकिन नकदी मशीन से बाहर नहीं निकलती थी। ग्राहक के वहां से जाने के बाद आरोपी दोबारा एटीएम में पहुंचते और मशीन में फंसी नकदी निकालकर फरार हो जाते थे।

एक मिनट में करते थे पूरी वारदात : जांच में सामने आया कि आरोपी पूरी वारदात को एक मिनट से भी कम समय में अंजाम देते थे। घटना के सीसीटीवी फुटेज में दो आरोपी एटीएम में प्रवेश कर तेजी से मशीन में छेड़छाड़ करते और कुछ ही सेकंड में नकदी निकालकर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की।

तकनीकी जांच से पुलिस तक पहुंचे आरोपी : लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शाहपुरा थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर एटीएम के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। मुखबिर तंत्र की मदद से सोमवार रात छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने भोपाल में कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि गिरोह ने प्रदेश के अन्य जिलों या दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की घटनाएं की हैं या नहीं।

उपकरण और साक्ष्य जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए विशेष औजार, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं। चोरी की गई राशि के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की तलाश में जुटी है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि एटीएम से राशि निकलने में कोई तकनीकी समस्या आए या खाते से पैसे कटने के बावजूद नकदी प्राप्त न हो, तो तत्काल संबंधित बैंक और पुलिस को सूचना दें। साथ ही एटीएम में किसी भी प्रकार की संदिग्ध छेड़छाड़ दिखाई देने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस का मानना है कि छह आरोपियों की गिरफ्तारी से एटीएम ठगी करने वाले एक सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है ।

बिहार से आते, वारदात कर लौट जाते थे

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बिहार से भोपाल आते थे और कुछ दिनों तक किराये के कमरों या सस्ते होटलों में रुककर एटीएम की रेकी करते थे। सुनसान या कम सुरक्षा वाले एटीएम को चिन्हित कर रात के समय वारदात को अंजाम देते थे। वारदात के बाद वे तुरंत शहर छोड़ देते थे, जिससे पुलिस को उन तक पहुंचने में कठिनाई होती थी।